

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या प्र02 वि01-64/2012 **6407**

दिनांक **12/8/2014** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 (a) तथा 10 (1-a) में यथा विनिर्दिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम (3) एवं (4) में अंकित प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से पूर्ण कालिक अध्यक्ष के पद पर पाँच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक के लिए नियुक्त किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	अभियुक्ति।
1	2	3	4
1	श्री सुल्तान मुजफ्फर, पिता- स्व० अब्दुल लतीफ, आर० के० नगर, एफ०सी०आई० गोदाम, पो०- फुलवारीशरीफ, जिला- पटना।	मधेपुरा	
2	श्री रामचन्द्र दास, मार्फत- दिलीप दास, चन्द्र भवन के सामने, आदर्श कॉलोनी, रोड नं०-01, पोस्टल पार्क, पटना।	बाँका	
3	श्री मनोज कुमार वर्मा, फ्लैट नं० 201, सुन्दरम अपार्टमेन्ट, तिलक माँझी चौक, भागलपुर।	कैमूर	02.10.2014 से रिक्त
4	श्री निशानाथ ओझा, पिता- स्व० नर्मदेश्वर ओझा, पो०- नटवर सिमड़िया, भाया कोपा बाजार, जिला- सारण।	पटना	
5	श्री दिनेश कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर	वैशाली	
6	श्री सत्य प्रकाश नारायण सिंह, फ्लैट नं०-204, मुंडेश्वरी इनक्लेव, आकशवाणी रोड, खाजपुरा, पटना-14	जमुई	
7	श्री विपिन बिहारी लाल, मार्फत- श्रीमती उत्पल कुमारी, राजधानी अपार्टमेन्ट, ब्लॉक 'ए', (थर्ड फ्लोर लेफ्ट साइड/ए/बी), महेशनगर, जिला- पटना।	खगड़िया	
8	श्री विजेन्द्र कुमार सिंह, C1/21, साईं कुंज अपार्टमेन्ट, दौलतपुर रोड, पांडेपुर, थाना- पांडेपुर, वाराणसी।	औरंगाबाद	

३

	श्री रामचन्द्र साहनी, पिता-स्व० रामजी साहनी, मोहल्ला- रहमगंज, पो०- लालबाग, जिला - दरभंगा।	मोतिहारी	21.08.2014 से रिक्त
10	श्री राजकुमार श्रीवास्तव, मार्फत- श्री आर० डी०एस० श्रीवास्तव, ए-257, आवास विकास कॉलोनी, पोस्ट- गीतावाटिका, जिला- गोरखपुर (उ०प्र०)-273006	दरभंगा	
11	श्री सुरेन्द्र कुमार चौबे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला- मुंगेर।	अररिया	
12	श्री रमेश चन्द्र सिंह, पिता- श्री हरिहर प्रसाद सिंह, ग्रा०+पो०-बेलौन्दि, जिला- कैमूर।	गया	
13	श्री शम्भु नाथ सिंह, ब्लॉक-1/ए-4, ग्रीन भ्यू कॉम्प्लेक्स, विशाल सिनेमा के पीछे, सेबॉक रोड, सिल्लीगुड़ी, पो०- अपर भानू नगर, जिला- जलपाईगुड़ी, प० बंगाल-734001	किशनगंज	
14	श्री पाण्डेय अनिल कुमार, ग्राम- धरहरुआ, थाना- औराई, जिला- मुजफ्फरपुर	सुपौल	
15	श्री बालकृष्ण वर्मा, पिता - स्व० डॉ० ध्रुव कृष्ण वर्मा, सी०- 131159, औरंगाबाद, वाराणसी (उ० प्र०)-221001	बेतिया	
16	श्री विजय कुमार सिन्हा, पिता- स्व० हरिहर प्रसाद, 484/डी० मंदिर मार्ग, अशोक नगर, पो०- अशोक नगर, जिला- रांची-834002, झारखंड	मुजफ्फरपुर	

2 अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित समझी जाएगी एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।


3 अध्यक्षों का वेतन सेवा निवृत्ति की तिथि को प्राप्त वेतनमान में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1434 दिनांक 09.03.2000 के आलोक में निर्धारित होगा।

4 नवनियुक्त अध्यक्ष अपना योगदान संबंधित जिला के जिलाधिकारी को देंगे। योगदान की प्रति अध्यक्ष, राज्य आयोग/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुत करेंगे।

5. योगदान पत्र के साथ जन्म प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति तथा घोषणा पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

6. वांछित प्रमाण-पत्र के अभाव में योगदान स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(बी० प्रधान)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक - प्र02 वि01 64/2012

6407

खाद्य, पटना/दिनांक 12/8/2014

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

12/8/14
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक - प्र02 वि01 64/2012

6407

खाद्य, पटना/दिनांक 12/8/2014

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/निबंधक, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, आर0 ब्लॉक, पटना/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना//संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम/संबंधित सभी नवनियुक्त अध्यक्ष/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा -02 को 05 अतिरिक्त प्रतियों के साथ तथा प्रशाखा - 05 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण बिहार, पटना से अनुरोध है कि, वे संबंधित नवनियुक्त अध्यक्षों को अधिसूचना की प्रति का तामिला अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करेंगे।

12/8/14
प्रधान सचिव।